# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट)
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0179 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/07/2025 18:29 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 12 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/07/2025
   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/07/2025 **Time (समय):** 18:03 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/07/2025 18:29:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 220 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT, ITUNDA PANCHAYAT, SAMITI JAHAJPUR, BHILWARA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GOVIND PRASAD HARIJAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHYAM LAL HARIJAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | COLLEGE ROAD, NEHRU NAGAR, WARD NO 23, BEAWER, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | COLLEGE ROAD, NEHRU NAGAR, WARD NO 23, BEAWER, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNU SINGH MEENA | | पिता:MOTI SINGH MEENA | 1. TALAB KA JHOPRA,GRAM PANCHAYAT ITUNDA,JAHAJPUR,BHILWARA, BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | PARMESHWAR LAL MEENA | | पिता:SHANKAR LAL MEENA | 1. BHAV KA GUDHA,GRAM PANCHAYAT ITUNDA,JAHAJPUR,BHILWARA, RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | 24000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा | 24,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 24,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवा मे श्रीमान उप अधीक्षक पुलीस एसीबी भीलवाडा 1 विषय - सरपंच द्वारा रिश्वत मांगने के समन्ध में महोदय जी निवेदन है कि मे प्रार्थी गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व श्री श्यामलाल जाति हरिजन उर्म 45 वर्ष निवासी कॉलेज रोड नेहरू नगर कोलोनी वार्ड नं. 23 ब्यावर का रहने वाला हू मे पेशे से कान्ट्रेक्टर हू मेरी फर्म शिवकृपा एन्टरप्राईजेज के नाम से है रजिस्टर्ड है। मे दसवी पास तक पढा हू मेने मेरी फर्म के नाम से प. समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा मे ग्राम पंचायत इटून्दा मे सफाई कार्य हेतु निविदा मे ऑनलाइन आवेदन किया था मेरी फर्म के नाम टेण्डर जारी होने पर मुझे प. समिति जहाजपुर के आदेश सं. 3238 दिनांक 10.1.2025 से कार्य आदेश प्राप्त हुआ इसके बाद इटून्दा ग्राम के सरपंच अन्नु सिह मीणा एवं ग्राम विकास अधिकारी सीता मीणा ने भी सरपंच के लेटर पेड पर मुझे दिनांक 11.1.2025 से ग्राम पंचायत ईटून्दा में सफाई कार्य करने के निर्देश दिये मेने सफाई कार्य हेतु 7 व्यक्ति जेसीबी ट्रेक्टर लगाकर मेने जनवरी फरवरी व मार्च 2025 तक कार्य किया मेरे तीन महीने कार्य का बिल 3.00 लाख रूपये बना इसके बाद मैने मेरे कार्य के पेटे भुगतान हेतु बिल तैयार कर माह अप्रेल में बीडीओ साहब श्री सियाराम जी को पेस किये इसके बाद सियाराम जी ने बिल जेटीओ श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को दिये जिसने बिल ग्राम पंचायत इटून्दा मे भिजवाये इसके बाद मेने सरपंच श्री अन्नु सिह मीणा से कई बार जाकर मेरे सफाई कार्य के बिलो के भुगतान हेतु हाथा जोडी की लेकिन सरपंच मेरे पेंडिग बिलो पर हस्ताक्षर नही कर रहे है बार बार बहाने बनाकर कर मुझे अनावश्यक ही चक्कर दे रहे मे दिनांक 2.6.2025 को ग्राम पंचायत इटून्दा मे समय तकरीबन 12.30 पी.एम लगभग सरपंच से मिला और मेरे सफाई के 3.00 रूपये के बिल भुगतान के समन्ध मे बातचीत कि तो सरपंच अन्नु सिह मीणा कहा कि आपके बनाये बिल के हम नही मानते हम तो अपने हिसाब से ही बिल तैयार करेगे आपको केवल 1.20 लाख रूपये के ही बिल राशि बन रही है मैने काफी हाथा जोडी कि मुझे काफी नुकसान हो रहा है तो सरपंच साहब अन्नुसिह ने कहा कि आपको पहले 60,000 देने पडेगे तभी आपके बिल बनाउंगा सरपंच श्री अन्नु सिह ने मेरे से 60,000/- हजार रिश्वत की मांग की सरपंच साहब मेरे से रिश्वत लिये बगेर मेरे बिलो का भुगतान नही करेगे मेरे जायज कार्य की एवज मे भ्रष्ट सरपंच अन्नु सिह को 60,000/- हजार रिश्वत राशि नही देना चाहता हू बल्कि असे भ्रष्ट सरपंच को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू मेरी सरपंच साहब कोई रंनजीश नही ओर नही को लेना देना बकाया नही रिपोर्ट करता हू कि कानूनी कार्यवाही करे संलग्न 1. आधार कार्ड कॉपी 2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉपी 3. कार्य आदेश प्रार्थी एस.डी गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व. श्री श्याम लाल कॉलेज रोड नेहरू नगर कोलोनी वार्ड नं. 23 ब्यावर मो. [redacted] परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एस.डी पारसमल, डीवाईएसपी, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा 1 दि. 05.06.2025 समय 12.15 पी.एम एस.डी पुष्पेन्द्र नेगी 11.06.2025 एस.डी भागीरथ सिह 11.06.25 कार्यवाही पुलिस - कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम दिनांक 05.06.2025 समय 12.15 पी. एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व. श्री श्यामलाल जाति हरिजन, उम्र 45 वर्ष, निवासी कॉलेज रोड, नेहरू नगर, वार्ड नं. 23, जिला ब्यावर मोबाईल नम्बर [redacted] ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मुझ उप अधीक्षक पारसमल के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं तथा पेशे से कॉन्ट्रेक्टर हूं। मेरी फर्म शिवकृपा सफाई एन्ट्रप्राईजेज के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं 10 वी कक्षा तक पढा हुआ हूं तथा यह तहरीर मेरी स्वयं की हस्तलिखित है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये। तत्पश्चात परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में दरयाप्त की तो बताया कि मैनें पंचायत समिती जहाजपुर, जिला भीलवाडा में ग्राम पंचायत ईटून्दा में सफाई कार्य हेतु निविदा में ऑनलाईन आवेदन किया। जिस पर मेरी फर्म के नाम

से ग्राम पंचायत ईटून्दा में सफाई कार्य हेतु पंचायत समिती जहाजपुर से कार्यालय आदेश संख्या 3238 दिनांक 10.01.2025 प्राप्त हुआ। इसके बाद ग्राम पंचायत ईटून्दा के सरपंच श्री अनुसिंह मीणा नें व ग्राम विकास अधिकारी नें भी अपने लेटर पेड पर मुझे सफाई कार्य करने के संबंध में निर्देश दिये। मैनें सफाई कार्य हेतु सात व्यक्ति, जेसीबी, ट्रेक्टर इत्यादि लगाकर माह जनवरी से मार्च तक तीन माह तक कार्य किया। इस कार्य की ऐवज में मेरे द्वारा 3.00 लाख रूपये के भुगतान हेतु बिल बनाकर बीडीओ साहब श्री सियाराम जी को अप्रेल माह में पेश किये। जिन्होने बिलो को जेटीओ श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के पास भिजवाये। जेटीओ साहब नें बिलो को ग्राम पंचायत ईटून्दा में भेज दिया। इसके बाद मैं सरपंच श्री अनुसिंह जी से कई बार जाकर ग्राम पंचायत ईटून्दा में मिला तथा मेरे बिलो के भुगतान के संबंध में हाथा जोडी की लेकिन सरपंच साहब नें मेरे 3.00 लाख रूपये के बिलो पर हस्ताक्षर नही किये तथा मेरे भुगतान बिल अटका दिये और मुझे बार बार चक्कर देकर परेशान कर रहे है। मैं दिनांक 02.06.2025 को समय करीबन 12.30 पी.एम के लगभग ग्राम पंचायत ईटून्दा में जाकर सरपंच श्री अनुसिंह मीणा से मिला और मेरे 3.00 लाख रूपये के भुगतान बिलो पर साईन कर भुगतान करने के संबंध में निवेदन किया तो अनुसिंह ने कहा कि हम आपके बिलो को नही मानते है। हम तो हमारे हिसाब से ही बिल बनायेंगे। आपके केवल 1.20 लाख रूपये राशि के ही बिल बनते है। मैनें काफी हाथा जोडी की कि मैने काम भी पूरा किया है और सभी मापदंड भी पूरे किये है। मेरे बिलो में कटौती क्यो कर रहे हो लेकिन श्री अनुसिंह मीणा नें मेरी एक भी नही सुनी और कहा कि हम आपके 1.20 लाख रूपये के बिल ही पास करेंगे। इसमें से आपको मुझे 60,000/- रूपये देने पडेंगे, नही तो आपके बिल पास नही होंगे। सरपंच श्री अनुसिंह ने मेरे से 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्य की एवज में सरपंच श्री अनुसिंह मीणा को 60,000/- रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि ऐसे भ्रष्ट सरपंच को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। सरपंच साहब श्री अनुसिंह जी मेरे से 60,000/- रूपये रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे बिलो को पास नही करेंगे, बल्कि मेरे अन्य पंचायतो में लम्बित बिलो पर भी रोडा अटकायेंगे। मेरी सरपंच साहब श्री अनुसिंह जी से कोई रंजिश नही है और ना ही किसी प्रकार का लेनदेन बकाया है। आज मैं आपको मेरा आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, वर्क ऑर्डर की फोटोकॉपी प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को एसओ के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 01.30 पी.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से मन उप अधीक्षक द्वारा एसओ के पास जाकर अपने लम्बित कार्य एवं रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने एवं उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की कहने पर परिवादी नें बताया कि मैं आज ही सरपंच साहब श्री अनुसिंह जी के पास जाकर अपने बिलो के भुगतान एवं रिश्वत राशि मांगने से संबंधित वार्ता कर लूंगा। तत्पश्चात कानि. श्री पवन राव को कार्यालय कक्ष में तलब कर मालखाने से डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर कानि. श्री पवन राव नें कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी का मुझ उप अधीक्षक को लाकर प्रस्तुत किया। कानि. श्री पवन राव का परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से आपस में परिचय करवाया गया तथा एक दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में शेयर किये गये तथा कानि. श्री पवन राव को परिवादी के साथ जाकर एसओ से होने वाली रिश्वत राशि मांग का सत्यापन से सम्बंधित वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई तथा कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर जरिये फर्द सुपुर्दगी के कानि. श्री पवन राव को सुपुर्द किया तथा निर्देश दिये कि परिवादी को एसओ के पास वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वाइस रिकार्डर को अच्छी तरह से चालू कर सुपुर्द करे। परिवादी व एसओ के मध्य होने वाली वार्ताओं को सुनने व देखने का प्रयास करे तथा एसओ की आमशौहरत के बारे में भी जानकारी करे। परिवादी नें एसओ श्री अनुसिंह मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] मुझ उप अधीक्षक को बताये। समय 2.00 पी.एम पर कानि. श्री पवन राव को परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी की स्वयं की कार से ईटून्दा, जहाजपुर की तरफ रवाना किया गया। समय 6.00 पी.एम पर श्री पवन राव कानि 417 मय परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के उपस्थित कार्यालय आये तथा कानि. ने कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मुझ उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। कानि. नें बताया कि हम ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय 03.55 पी.एम के लगभग जहाजपुर पहुंचकर श्री अनुसिंह मीणा, सरपंच के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी के फोन से कॉल करवाकर लोकेशन जानना चाही गई तो एसओ नें कहा कि आज मैं शादी में बाहर आया हुआ हूं, आज नही मिल सकता, वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर को चालू कर रिकार्ड किया गया। परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद नें बताया कि सरपंच साहब कल मेरे से मिलकर रिश्वत राशि लेनदेन की बातचीत करेंगे। आज रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध में कोई बातचीत नही हुई है। सरपंच साहब आज शादी में व्यस्त होना बता रहे है। अतः परिवादी को प्रातः 8.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन उप अधीक्षक की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 06.06.2025 समय 08.15 ए.एम पर कानि. श्री पवन राव को मन उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाया गया तथा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे गये

डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर कानि. श्री पवन राव को सुपुर्द किया तथा निर्देश दिये कि आप परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से जहाजपुर पहुंचकर सम्पर्क कर एसओ से होने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लावे। कानि. श्री पवन राव को जहाजपुर की तरफ रवाना किया गया। समय 03.00 पी.एम पर श्री पवन राव कानि. मय परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के उपस्थित कार्यालय आये। कानि. द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर मन उप अधीक्षक को बंद हालत में सम्भलाया गया। कानि. नें बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर रोडवेज बस से समय 10 ए.एम के लगभग शाहपुरा पहुंचा तथा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से उसके मोबाईल पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं शाहपुरा पहुंचने वाला हूँ तथा आप शाहपुरा ही रूके। इसके बाद परिवादी गोविन्द प्रसाद जी समय 10.15 ए.एम के लगभग अपनी कार से शाहपुरा पहुंचे जहां से मैं, परिवादी के साथ उनकी कार में बैठकर समय 10.40 ए.एम के लगभग जहाजपुर पहुंचे तथा एसओ की लोकेशन जानने के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से सरपंच श्री अनुसिंह मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई तो सरपंच साहब ने कहा कि मैं अभी शक्करगढ की तरफ किसी काम से आया हूं, आपको मैं फ्री होकर कॉल करता हूं। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मैं तथा परिवादी जहाजपुर पंचायत समिती के बाहर ही इंतजार किया। इसके बाद परिवादी के परिचित श्री राकेश से परिवादी नें सरपंच साहब को कॉल करवाया तो सरपंच श्री अनुसिंह ने कहा कि यही शक्करगढ ही आ जाओ। इसके बाद राकेश को हमारे साथ गाडी में बिठाकर हम लोग गाडी लेकर समय करीबन 12.15 पी.एम पर हनुमान मंदिर शक्करगढ पहुंचे। सरपंच श्री अनुसिंह नें परिवादी गोविन्द जी को हाईवे की तरफ बुलाया तो मैनें परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर दिया, जिस पर परिवादी नें अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में रखकर स्वयं की गाडी से राकेश के साथ हाईवे की तरफ वार्ता करने के लिए गये। मैं मंदिर के पास ही रूका। समय करीब 12.40 पी.एम पर परिवादी अपनी कार से वापस मंदिर के पास आये तथा डिजीटल वाइस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैनें बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि मेरी सरपंच साहब अनुसिंह जी से मेरे सफाई कार्य के लम्बित बिलो के संबंध में बातचीत हो गई है तथा सरपंच साहब ने 60,000/- रूपये रिश्वत राशि सोमवार को लेकर आने के लिये बताया है। मेरी और सरपंच साहब के मध्य हुई वार्ता आपके डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड हो चुकी है। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी नें कानि. श्री पवन राव के कथनो की पुष्टि करते हुये बताया कि मैं तथा कानि. श्री पवन जी शाहपुरा से मेरी गाडी से जहाजपुर पहुंचे, जहां से मैने मेरे परिचित श्री राकेश मीणा को मेरी गाडी में साथ में बिठाया तथा राकेश नें सरपंच साहब से बात की तो सरपंच साहब अनुसिंह जी नें मुझे शक्करगढ आने को कहा जिस पर मैं, पवन जी, राकेश के साथ मेरी गाडी से शक्करगढ हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, जहां पर सरपंच साहब नें मुझे हाईवे पर बुलाया, जिस पर श्री पवन राव कानिस्टेबल ने डिजीटल वाइस रिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैने मेरी पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखा। इसके बाद मैं व राकेश मीणा गाडी लेकर हाईवे की तरफ गये जहां पर एक छोटी गुटके पान की थडी के पास श्री अनुसिंह मीणा, सरपंच मिले। सरपंच साहब अनुसिंह जी मेरी गाडी में आकर बैठ गये तथा मैने मेरे सफाई कार्य के भुगतान बिलो के संबंध में बातचीत की तो सरपंच साहब श्री अनुसिंह जी ने मेरे बिलो को पास करने की ऐवज में 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मैनें सरपंच साहब से काफी हाथा जोडी की कि मुझे पहले से ही नुकसान हो चुका है, मैं 60,000/- रूपये नही दे पाउंगा, कुछ राशि कम करके 50,000/- रूपये के लिये कहा तो सरपंच साहब ने कहा कि जेटीओ को 2 प्रतिशत और सचिव को 5 प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पडेंगे, इसमें मेरे तो कुछ भी पाती नही आ रहा है। सरपंच साहब ने कहा कि आप ज्योहिं मुझे पेमेंट पकडवाओगे, वी टेम ही मैं ओटीपी दे देऊं। सरपंच साहब नें मुझे 60,000/- रूपये कि रिश्वत राशि लेकर सोमवार को बुलाया है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाइस रिकार्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के बताये हुये कथनो की पुष्टि हुई तथा सरपंच श्री अनुसिंह मीणा द्वारा परिवादी के सफाई कार्य के तीन महिनों के पेण्डिंग बिलो को पास करने की एवज में 60,000 रूपये की मांग की गई। जिसमें एसओ द्वारा उक्त 60,000 रूपये में से 36000 रूपये लेबर को देने बाबत वार्ता के संबंध में परिवादी से पूछा तो बताया कि मैने सफाई कार्य के लिए 6 लेबर लगायी थी, उनको मैने पूर्व में 7200 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान कर चुका हूं, सफाई कार्य में लेबर का भुगतान मेरे द्वारा ही किया जाना है। लेबर ईटून्दा गांव व आसपास की होने के कारण सरपंच व सचिव द्वारा सफाई के बिल पास नही करने के कारण हो सकता है, लेबर सरपंच के पास ग्राम पंचायत में पैसे मांगने चली गई हो, लेकिन लेबर को भुगतान मेरे स्तर पर ही करना है। सरपंच अनुसिंह द्वारा की गई मांग 60,000 रूपये मे से 36000 रूपये मैं लेबर को भुगतान कर दूंगा एवं शेष राशि 24000 रूपये सरपंच स्वयं के लिए जिसमें से जेटीओ के लिए 2 प्रतिशत रिश्वत राशि तथा सचिव के लिये भी 5 प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। सरपंच मेरे से रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे पेंडिंग बिलो के भुगतान के संबंध में ओटीपी नही देगा। मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी सरपंच द्वारा राकेश नामक व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के संबंध में पूछताछ की तो परिवादी ने बताया कि राकेश मीणा वही लोकल गांव का रहने वाला है, जिसको मैने 15000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से सफाई कार्य की देखरेख एवं व्यवस्था हेतु लगाया है। राकेश मीणा ने मेरे से स्वयं के लिये रिश्वत की कोई मांग नही की है बल्कि वह मेरा ही कार्मिक है। अतः आरोपी श्री अनुसिंह मीणा द्वारा परिवादी से उसके सफाई कार्य के बिलो के भुगतान की ऐवज में स्वयं के लिए एवं अन्य लोकसेवक जेटीओ व सचिव के लिए 24,000 रूपये

रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद को लेबर के भुगतान के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं 4-5 दिनो में लेबर का भुगतान कर दूंगा। अतः परिवादी को अतिशीघ्र लेबर का भुगतान कर शेष रिश्वत राशि 24000 रूपये की मांग के संबंध में संदिग्ध सरपंच श्री अनुसिंह से पुनः रिश्वत राशि मांग का स्पष्ट सत्यापन करवाया जाना अति आवश्यक है। जो आईन्दा करवाया जायेगा। परिवादी को पाबंद कर रूख्सत किया गया। कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर मन उप अधीक्षक के पास कार्यालय अल्मारी में सुरक्षित रखा गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 10.06.2025 समय 03.15 पी.एम पर श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक को कार्यालय पत्रांक 850 दिनांक 10.06.2025 से स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग भीलवाडा रवाना किया गया। समय 05.30 पी.एम पर श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह (1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री कल्याण सिंह नेगी, उम्र 33 वर्ष, निवासी म.नं. 28 रूकमणी एंकलेव, शारदा चौराहा, भीलवाडा हाल वरिष्ठ सहायक, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, भीलवाडा मो.नं. [redacted] (2) श्री भागीरथ सिंह राणावत पुत्र श्री भैरूसिंह राणावत, उम्र 35 वर्ष, निवासी ए-616, आजाद नगर, भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, वृत भीलवाडा मो.नं. [redacted] उपस्थित कार्यालय आया, गवाहान से बातचीत कर पृथक से कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 06.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय पर कल दिनांक 11.06.2025 को प्रातः 10.00 ए.एम पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूख्सत किया गया। दिनांक 11.06.2025 समय 11.00 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह व श्री भागीरथ सिंह उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हे पृथक से कार्यालय हाजा कक्ष में बैठाया गया। समय 11.30 ए.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद उपस्थित कार्यालय आया, जिसे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन उप अधीक्षक के कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से आपस में परिचय करवाया गया तथा की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जाकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान नें लिखित में अपनी सहमति दी। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान से पढवाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 12.15 पी .एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकाला गया तथा दिनांक 06.06.2025 को परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व. श्री श्यामलाल जाति हरिजन, उम्र 45 वर्ष, निवासी कॉलेज रोड, नेहरू नगर, वार्ड नं. 23, जिला ब्यावर व आरोपी श्री अनुसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत ईटून्दा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा के मध्य हाईवे शक्करगढ के पास, रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई, उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री गोविंद प्रसाद ने अपनी आवाज तथा आरोपी श्री अनुसिंह, सरपंच व तीसरी आवाज परिवादी ने अपने कार्मिक श्री राकेश की आवाज की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क - M अंकित कर सभी सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 17 अंकित की गई। शिल्ड पैकिट आर्टिकल मन पारसमल उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। दिनांक 11.06.2025 समय 08.45 पी.एम पर प्रकरण हाजा के दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूख्सत किया गया। परिवादी को निर्देश दिये कि आप जब भी सरपंच श्री अनुसिंह मीणा द्वारा रिश्वत राशि मंगाने से संबंधित फोन पर वार्ता करता है तो मुझ उप अधीक्षक को अवगत करवाये तथा परिवादी को निर्देश दिये कि आप अविलंब रिश्वत राशि 24000 रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होवे। दिनांक 24.06.2025 समय 12.30 पी.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बताया कि मैं दिनांक 12.06.2025 को ग्राम पंचायत ईटून्दा में सफाई कार्य में लगी लेबर का पेंडिंग भुगतान 36000 रूपये लेबर के खाते में मेरे कार्मिक राकेश के मार्फत भुगतान किया जा चुका है। अब मेरे लेबर पेटे कोई भी भुगतान पेंडिंग नही है। मेरे द्वारा लेबर को किये गये भुगतान

की पेमेंट रिसिप्ट की फोटो प्रतियां आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त फोटोप्रतियां परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से स्वहस्ताक्षरित करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 पी.एम पर मन पारसमल, उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के मालखाने से एक नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी का श्री रामपाल सउनि के मार्फत निकलवाया गया तथा मन उप अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखे गये कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर निकाला गया तथा परिवादी को पुनः डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई तथा कानि. श्री पवन राव को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी के साथ ग्राम पंचायत ईटून्दा जाकर रिश्वत राशि मांग का स्पष्ट मांग का सत्यापन करवाये जाने के निर्देश दिये गये। कानि. श्री पवन राव को डिजीटल वाइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी की निजी कार से जहाजपुर, ईटून्दा की तरफ रवाना किया गया। समय 07.00 पी.एम पर श्री पवन राव कानि मय परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के उपस्थित कार्यालय आये तथा कानि. श्री पवन ने मन उप अधीक्षक को कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के बंद हालत में पेश किया। कानि. ने बताया कि निर्देशानुसार मै तथा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद समय 3 बजे करीबन जहाजपुर पहुंचे तथा परिवादी से एसओ श्री अन्नु सिंह से मोबाईल पर वार्ता करवाकर लोकेशन पूछी तो एसओ श्री अन्नु सिंह ने पंचायत भवन ईटून्दा ही बुलाया। जिस पर मैं तथा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद जहाजपुर से रवाना होकर ईटून्दा पहुंचे। जहां पर मैनें 4.00 पी.एम के लगभग परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया। जिसको परिवादी नें लेकर अपनी पहनी हुयी शर्ट की उपर की बांयी जेब मे रख लिया। तत्पश्चात मैं पंचायत भवन के आस पास ही मुकीम हुआ तथा परिवादी अपनी कार से ही पंचायत भवन परीसर में प्रवेश किया। उसी समय सरपंच श्री अन्नु सिंह, परिवादी के पास उसकी कार में आकर बैठा तथा परिवादी से वार्ता की, जो डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हो चुकी है। तत्पश्चात परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने बताया कि मैं तथा पवन जी मेरी कार से कार्यालय से रवाना होकर जहाजपुर पहुंचे। जहां पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से सरपंच श्री अन्नु सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर बातचीत कर उसकी लोकेशन जाननी चाही तो सरपंच ने ईटून्दा ग्राम पंचायत में ही बुलाया। जिस पर हम मेरी कार से ईटून्दा ग्राम पंचायत के पास पहुंचे। जहां पवन जी कानि ने मुझे डिजीटल वाइस रिकार्डर चालू कर दिया जिसको मैने मेरे पास मेरी शर्ट की उपर की बांयी जेब में चालू हालत मे रखा। तत्पश्चात मैने मेरी गाडी मे बैठे बैठे ही सरपंच श्री अन्नु सिंह से मेरे पेण्डिग कार्य के सम्बंध में बातचीत की तथा मैनें सरपंच को लेबर के 36000 रूपये पेण्डिंग भुगतान किये जाने के संबंध में बताया। सरपंच श्री अन्नु सिंह ने महिला सफाई कर्मचारी के मोबाईल पर वार्ता कर उनके पेण्डिंग भुगतान होने के संबंध में तस्दीक की। मैने सरपंच साहब अन्नु सिंह जी को 24000 रूपये रिश्वत राशि के संबंध में बातचीत की और मैने कहा कि आप मुझे ओटीपी दिला दो, मैं पेमेंट आपको 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा तो अन्नु सिंह ने कहा कि चौबीस तो पहले देकर जाओ, मेरे ऊपर भी सचिव है, पहले लेते है और बाद में ओटीपी देते है। फिर मैनें एमबी के संबंध में बातचीत की तो अन्नु सिंह नें कहा कि आप वहां बिल दे जाओ, पेमेंट होता रहेगा, पेमेंट से काम रखो आप, एमबी भरा और हम जाने और हमारा काम जाने। परिवादी ने बताया कि मैनें 24000 रूपये रिश्वत राशि में से कम करने के संबंध में निवेदन किया तो कहा कि नही सर, आप पहले मेरे से मिलते तो आपके ज्यादा फायदा होता। उसके बाद सरपंच फोन लगाकर सरिता मीणा सचिव से भी एमबी भरवाने के संबंध में तथा मेरे पेण्डिंग बिलो के संबंध में बातचीत की थी। सरपंच द्वारा मेरे से 24000 रूपये रिश्वत राशि की डिमांड की तथा उक्त रिश्वत राशि मे से जेटीओ और सचिव को भी दिये जाने के संबंध में वार्ता की है जो कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक नें डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुना गया तो आरोपी श्री अन्नु सिंह द्वारा परिवादी से 24000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। परिवादी को आईन्दा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये। परिवादी ने बताया कि मुझे जरूरी कार्य के लिए ब्यावर जाना है। मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही कार्यवाही के लिए आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 01.07.2025 समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद व पूर्व में पाबंदशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह व श्री भागीरथ सिंह उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10.30 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकाला गया तथा दिनांक 24.06.2025 को परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद व आरोपी श्री अनुसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत ईटून्दा, के मध्य ग्राम पंचायत ईटून्दा में रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई, उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री गोविंद प्रसाद ने अपनी आवाज तथा आरोपी श्री अनुसिंह, सरपंच की आवाज की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री पवन राव कानि नं. 417 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के

हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवन राव कानि नं. 417 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित कर सभी सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-3 दिया गयाए आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 17 अंकित की गई। शिल्ड पैकिट आर्टिकल मन पारसमल उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। समय 3.30 पी.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर गवाहान के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 48 नोट कुल राशि 24,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है 1. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4HC 132962 2. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4CF 281696 3. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8NM 266792 4. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9TC 055064 5. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1EK 798184 6. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4FL 651850 7. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3CV 792058 8. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3FC 146345 9. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4BH 783026 10. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8MD 101051 11. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1HG 493495 12. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8HV 166897 13. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9HS 810887 14. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0EB 292914 15. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0UU 791732 16. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9DU 551242 17. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8FV 188695 18. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2RV 971283 19. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7ET 182356 20. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8PG 160043 21. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1HE 918858 22. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8EC 056065 23. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6PD 125184 24. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8CT 766992 25. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3CF 129663 26. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3KR 467141 27. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 8ST 735832 28. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7CB 719365 29. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3UP 954001 30. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4EP 045308 31. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7DK 199246 32. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6RR 051537 33. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 2BR 922630 34. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 5HF 274168 35. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9UH 606890 36. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7LT 547175 37. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 6NF 836930 38. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7AM 849232 39. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0HF 887077 40. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 1NW 774435 41. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 9HL 072248 42. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 3PF 144309 43. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7CS 431225 44. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7CS 431226 45. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 4GS 072055 46. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 0BL 045037 47. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7TC 862978 48. एक 500 रूपये का नोट नम्बर 7FS 253734 उक्त सभी नोटो पर श्री श्रवण कुमार हैड कानिस्टेबल 110 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही की 01 फर्द मुर्तिब कर सभी नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये। फर्द मेरे निर्देशन मे श्री खालिद हुसैन हैड कानि नं. 88 से तैयार करवायी गयी। परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद ने बताया कि अब 5.30 पी.एम से उपर का समय हो चुका है तथा अब ट्रेप कार्यवाही के लिए जहाजपुर व ईटून्दा पहुचेंगे तब तक सरपंच ग्राम पंचायत ईटून्दा से अपने घर की तरफ निकल जायेगा तथा वह जनप्रतिनिधी होने के कारण ईलाके में भी निकल जाता है और वहां आसपास में पहाडी ईलाका होने मे नेटवर्क प्रोब्लम रहती है व बातचीत होने में भी दिक्कत रहेगी। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा किये जाने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया गया। रिश्वत राशि 24000 रूपये को श्री श्रवण कुमार हैड कानि से एक पीले लिफाफे में रखवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवायी गई। समस्त कार्यालय के कार्मिको, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी को दिनांक 02.07.2025 को प्रातः 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये। परिवादी ने बताया कि मैं आपको जहाजपुर के आसपास ही मिल जाउंगा। परिवादी व गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 02.07.2025 समय 8.00 ए.एम पर पूर्व में पाबंदशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह व श्री भागीरथ सिंह व समस्त स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित आ चुका है। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय 8.30 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री खालिद हुसैन हैड कानि, श्री पवन कानि, श्री राजवीर कानि मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर व अनुसंधान सामग्री एवं रिश्वत राशि 24000 रूपये का लिफाफा मय श्री श्रवण कुमार हैड कानि के ऑडियो विडियो रिकार्डिंग हेतु कार्यालय का

मोबाईल फोन मय मैमोरी कार्ड एवं श्रीमती कल्पना पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश कुमार उनि, श्री रामपाल सउनि, श्री इन्द्रजीत कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो से ट्रेप कार्यवाही हेतु जहाजपुर, ईटून्दा की तरफ रवाना हुआ। परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद को जहाजपुर के आसपास हाईवे पर ही मिलने के संबंध में पाबंद कर रवाना हुआ। समय 10.15 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के स्वस्ति धाम जहाजपुर हाईवे पर पहुंचा जहां परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद उपस्थित मिला। जिससे मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा जाप्ता व वाहनो को रोड के साईड में खडा करवाकर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से एसओ की लोकेशन जानने हेतु मोबाईल पर वार्ता करवाई गई तो श्री अन्नु सिंह सरपंच ने कहा कि आज मैं बाहर हूं, कल मिलूंगा। परिवादी एवं एसओ के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वार्ता अनुसार आज संदिग्ध सरपंच श्री अन्नु सिंह बाहर होने की वजह से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकती है। हालात वरिष्ठ अधिकारियो को निवेदन कर मय हमराही जाप्ता मय गवाहान के भीलवाडा के लिए रवाना हुआ। परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूख्सत किया गया। समय 12.15 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के मय प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन के उपस्थित कार्यालय आया। रिश्वत राशि नोटो का लिफाफा हैड कानि. श्री श्रवण कुमार से कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाकर सुपुर्द मालखाना इंचार्ज किया गया। दिनांक 09.07.2025 समय 08.15 ए.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद नें जरिये मोबाईल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पास दिनांक 07.07.2025 को सरपंच श्री अन्नु सिंह का फोन आया तथा मुझे रिश्वत राशि 24000 रूपये लेकर ईटून्दा बुलाया है। मैं पारिवारीक कार्यो में व्यस्त होने के कारण आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सका। आज मैं कार्यवाही के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद को निर्देश दिये कि आप सरपंच श्री अन्नु सिंह से मोबाईल पर वार्ता कर मिलने का समय व स्थान के संबंध में पूछकर मुझ उप अधीक्षक को बताये। इस पर परिवादी ने मुझ उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि मेरी सरपंच श्री अन्नु सिंह से वार्ता हुई है, जिसने मुझे 11.00 ए.एम के बाद मिलने के लिए बुलाया है। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देश दिये कि आप जहाजपुर के आसपास मुझ उप अधीक्षक को उपस्थित मिले तथा सम्भव हो सके तो एक दुपहिया वाहन मोटर साईकिल की व्यवस्था करे। समय 10.15 ए.एम पर कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ व दोनो स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित आ चुके है। श्री श्रवण कुमार हैड कानि से मालखाने से रिश्वत राशि नोटो का लिफाफा निकलवाया गया। मन पारसमल उप अधीक्षक मय श्री गजेन्द्र सिंह कानि, श्री खालिद हुसैन हैड कानि, श्री इन्द्रजीत कानि दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह नेगी व श्री भागीरथ सिंह मय श्री श्रवण कुमार हैड कानि मय प्राईवेट वाहन एवं श्रीमती कल्पना पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश कुमार उनि, श्री रामपाल सउनि, श्री नेमीचंद सउनि मय सरकारी वाहन बोलेरो के ईटून्दा व जहाजपुर की तरफ रवाना हुआ । कानि. श्री इन्द्रजीत को कार्यालय का मोबाईल फोन मय 64 जी.बी मैमोरी कार्ड कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग हेतु निर्देश दिये गये तथा श्री गजेन्द्र सिंह कानि को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय 64 जी.बी नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। हालात वरिष्ठ अधिकारियो को निवेदन किये। समय 12.30 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के जहाजपुर से थोडा पहले हाईवे पर पहुंचे जहां परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद उपस्थित मिला। जिससे आरोपी श्री अन्नुसिंह सरपंच की लोकेशन पता करने के लिए जरिये मोबाईल वार्ता करवायी तो आरोपी श्री अन्नु सिंह नें ग्राम पंचायत ईटून्दा में ही होने के संबंध में बताया तथा परिवादी को ईटून्दा ही बुलाया। उक्त मोबाईल पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तत्पश्चात गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह नेगी से परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवायी गई जिसमें कोई वस्तु नही मिली। तत्पश्चात श्री श्रवण कुमार हैड कानि के पास लिफाफे में रखी रिश्वत राशि 24000 रूपये के नोटो की गड्डी निकलवायी जाकर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवायी गई व परिवादी व गवाहान एवं समस्त एसीबी टीम को पूर्व में रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा पुनः बताया गया। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक मय श्री इन्द्रजीत कानि व दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से श्रीमती कल्पना बंशीवाल पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश कुमार उनि, श्री रामपाल सउनि, श्री नेमीचंद सउनि मय सरकारी वाहन बोलेरो से श्री खालिद हुसैन को परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल से तथा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद मय श्री गजेन्द्र सिंह कानि मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के परिवादी की कार से ग्राम पंचायत ईटून्दा की तरफ रवाना हुए। तथा श्री श्रवण कुमार हैड कानि को एसीबी कार्यालय भीलवाडा के लिये रवाना किया गया। समय 01.00 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य के ईटून्दा ग्राम से पहले पहुंचे तथा समस्त जाप्ते व वाहनो को रोड के पास साईड में खडा करवाया गया। चूंकि आरोपी सरपंच काफी प्रभावशाली है तथा उक्त आने जाने का रास्ता सिंगल रोड व बरसात से काफी खराब हो रखा है, इस संबंध में परिवादी से बातचीत की तो परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन, ईटून्दा बस स्टैण्ड पर ही है, जहां पर हर समय काफी भीड भाड रहती है तथा पंचायत भवन के सामने से ही एक रूट सीधा कोटा देवली हाईवे की तरफ निकलता है। इस पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय कानि. श्री गजेन्द्र सिंह, परिवादी के साथ परिवादी की कार में कार्यवाही के पश्चात आने जाने का रास्ता व पंचायत की लोकेशन जानने हेतु रवाना हुआ तथा मन उप अधीक्षक मय परिवादी के आने जाने के रास्ते व पंचायत की लोकेशन मालूम कर वापस जाप्ते के पास पहुंचा। समय 01.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक

द्वारा परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करने के कानि. श्री गजेन्द्र सिंह को निर्देश दिये। कानि. श्री गजेन्द्र सिंह ने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद को सुपुर्द किया जिसने रिकॉर्डर को चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखा। तत्पश्चात परिवादी को स्वयं की कार से ग्राम पंचायत ईटून्दा की तरफ रवाना किया। उसके पीछे मोटर साईकिल पर श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री गजेन्द्र सिंह कानि को एवं मन पारसमल उप अधीक्षक मय गवाहान मय एसीबी टीम के परिवादी के पीछे पीछे ग्राम पंचायत ईटून्दा की तरफ रवाना होकर पंचायत भवन के आसपास अपनी अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम हुए। समय 01.50 पी.एम पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद ने मुझ उप अधीक्षक पारसमल को जरिये मोबाईल व्हाटसएप्प कॉल से सूचना दी कि सरपंच श्री अन्नु सिंह मीणा ने मेरी गाडी के पास आकर रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध में बातचीत की तो सरपंच ने कहा कि मैं परमेश्वरं ईमित्र वाले को भिजवा रहा है। रिश्वत राशि सरपंच अपने परिचित को दिलवायेगा। इसी दौरान मैनें गाडी में बैठे-बैठे ही मेरी गाडी को इण्डीकेटर जलाकर ईमित्र संचालक श्री परमेश्वर लाल मीणा द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथो से ग्रहण करने पर ईशारा किया। इसी दौरान ट्रेप पार्टी सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह कानि ने मुझे समय 1.51 पी.एम. पर कॉल कर आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में बताया। जिस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्यों के ग्राम पंचायत भवन ईटून्दा के परिसर में प्रवेश किया तो गेट के पास ही परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद स्वयं की कार में बैठा मिला जिससे मन् उप अधीक्षक ने बातचीत की तो परिवादी ने बताया कि सरपंच श्री अन्नु सिंह के कहे अनुसार श्री परमेश्वर लाल मीणा प्राईवेट व्यक्ति द्वारा मेरे पास मेरी गाडी में आकर बैठा तथा सरपंच के कहे अनुसार रिश्वत राशि 24000 रूपये मैनें परमेश्वर लाल मीणा को हाथों में दी तो परमेश्वर लाल मीणा ने कहा कि "कितने है" तब मैनें कहा कि 24000 रूपये। तब परमेश्वर ने कहा कि 30 की केरिया है। इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं बात करके आउं, और वह सरपंच को पूछने के लिये चला गया तथा रिश्वत राशि 24000 नोटों की गड्डी को मेरी गाडी मे ही गियर बॉक्स के पास रखकर चला गया। परिवादी से श्री गजेन्द्र सिंह कानि द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक, मय परिवादी मय दोनो गवाहान के ग्राम पंचायत परिसर में बने सरपंच के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही सरपंच साहब है एवं पास ही पडी पानी की मटकी के पास एक व्यक्ति गिलास से पानी पीकर हाथ मलता हुआ दिखाई दिया। परिवादी ने बताया कि यह परमेश्वर लाल है जिसने सरपंच साहब श्री अन्नु सिंह जी के कहे अनुसार रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये मेरी गाडी में आकर बैठा तथा बातचीत की। मैनें 24000 रूपये रिश्वत राशि श्री परमेश्वर लाल को दी तो अपने हाथों मे ली तथा उसी समय मैनें कहा कि ये 24000 रूपये है, गिन लो । तो परमेश्वर लाल ने कहा कि वो 30 के लिये कह रहे है। उसके बाद परमेश्वर लाल ने रिश्वत राशि को गियर लिवर के पास बॉक्स में रखकर बोला कि मैं पूछकर आता हूं। इसी दौरान मैनें आपको रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में सूचना दी। तत्पश्चात सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का एवं हमराही जाप्ते का परिचय देकर आने का मन्तव्य बताया तथा उसका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री अन्नु सिंह मीणा पुत्र श्री मोती सिंह मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी तालाब का झोपडा, ग्राम पंचायत ईटून्दा, तहसील जहाजपुर पुलिस थाना हनुमान नगर जिला भीलवाडा हाल सरपंच/प्रशासक, ग्राम पंचायत ईटून्दा, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा और पास खडे व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री परमेश्वर लाल मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी भाव का गुढा, ग्राम पंचायत ईटून्दा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद की ओर ईशारा कर पूछा कि ये कौन है। इनको कैसे जानते हो। तो सरपंच श्री अन्नु सिंह ने कहा कि यह सफाई ठेकेदार है। मेरे पास आया था। इनके बिल पास कराने के लिये। तत्पश्चात परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से आज सरपंच के कहे अनुसार रिश्वत राशि 24000 रूपये दिये जाने के संबंध में पूछा तो परिवादी ने कहा कि मेरे से सरपंच साहब ने मेरे बिल पास करने की एवज में पहले 60 हजार रूपये की मांग की तथा कहा कि लेबर को भी हम ही पेमेन्ट कर देगें और शेष 24000 रूपये जे.टी.ओ., सचिव व अन्य को भी बांटने पडेगें। आज ये ही 24000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये सरपंच श्री अन्नु सिंह ने अपने परिचित ई-मित्र संचालक श्री परमेश्वर लाल मीणा को मेरे पास गाडी में भिजवाया। तत्पश्चात पास ही खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर मन् उप अधीक्षक ने सरपंच श्री अन्नु सिंह से पूछा कि आपने परमेश्वर लाल को रिश्वत राशि लेने के लिये गोविन्द प्रसाद की कार के पास भिजवाया है। तो सरपंच ने कहा कि मैनें कोई चीज के लिये भेजा है। तत्पश्चात पास ही खडे परमेश्वर लाल से मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के पास उसकी गाडी में जाकर रिश्वत राशि लेने हेतु जाने के संबंध मे पूछा तो कहा कि सरपंच साहब ने मुझे कोई चीज लाने के लिये गोविन्द प्रसाद के पास भेजा था। वहां गाडी में पैसे थे मैनें मना कर दिया, मैं पैसे नही लूंगा। इन्होने कहा कि कोई चीज देगें, ले लेना। पैसे देखते ही मैने मना कर दिया। मन् उप अधीक्षक द्वारा परमेश्वर लाल से पूछा कि आपने सरपंच से यह नही पूछा कि क्या चीज लानी है, क्या चीज देगें। चुंकि आरोपी श्री अनु सिंह मीणा द्वारा रिश्वत राशि 24000 रूपये स्वयं ग्रहण नही कर अपने परिचित व्यक्ति श्री परमेश्वर लाल मीणा को रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये परिवादी के पास भिजवाया है। आरोपी श्री परमेश्वरं लाल मीणा द्वारा उक्त रिश्वत राशि 24000 रूपये को अपने हाथों में ग्रहण की तथा और अधिक रिश्वत राशि के संबंध में आरोपी सरपंच से पूछने की बताकर परिवादी की

गाडी में ही 24000 रूपये की रिश्वत राशि को पटककर सरपंच के पास जाना पाया गया। चुंकि मौके पर ग्राम पंचायत में अत्यधिक भीड-भाड होने तथा अग्रिम कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की आशंका के चलते कानि श्री गजेन्द्र सिंह से आरोपी श्री परमेश्वर लाल मीणा का बांया हाथ, दाहिना हाथ श्री खालिद हुसैन हैड कानि से कलाई के उपर से पकडकर वाहन सरकारी बोलेरो में बिठाया तथा श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अनु सिंह को पकडकर वाहन में बिठाया गया तथा रिश्वत राशि 24000 रूपये परिवादी की कार में गियर बॉक्स के पास रखे हुए को गवाहान श्री पुष्पेन्द्र सिंह नेगी के पास सुरक्षित रखवाई गई। समय 02.00 पी.एम. पर ग्राम पंचायत ईटून्दा से पुलिस थाना हनुमान नगर के लिये रवाना हुए तथा हैड कानि श्री खालिद हुसैन को परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल लेकर पुलिस थाना हनुमान नगर पहूंचने के निर्देश दिये गये। समय 02.20 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पारसमल, मय परिवादी मय गवाहान मय श्रीमति कल्पना पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश कुमार उप निरीक्षक, श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री गजेन्द्र सिंह कानि, श्री इन्द्रजीत कानि मय दोनो आरोपीगण श्री अनु सिंह मीणा सरपंच/प्रशासक व श्री परमेश्वर लाल मीणा प्राईवेट व्यक्ति के पुलिस थाना हनुमान नगर पहूंचे। जहां श्री कैलाश चन्द्र ए.एस.आई उपस्थित मिलें जिसको मन् उप अधीक्षक ने अपना तथा हमराही जाप्ते का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रूम उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में बताया तो श्री कैलाश चन्द्र ए.एस.आई ने थानाधिकारी का कार्यालय कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कक्ष उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात थाना परिसर से श्री नेमीचन्द ए.एस.आई से साफ पानी मंगवाया जाकर अनुसंधान बॉक्स में से दो डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर साफ पानी भरवाकर श्री रामपाल सउनि से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवायी जाकर गवाहान के समक्ष एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री परमेश्वर लाल मीणा के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल. एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी परमेश्वर लाल मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात रिश्वत राशि 24000 रूपये गवाह श्री पुष्पेन्द्र सिंह नेगी के पास सुरक्षित रखवाई गई को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से उक्त नोटो का मिलान करवाया तो हुबहु होना पाये गये। उक्त सभी रिश्वत राशि नोट 24,000/- रूपये जिसमें 500-500 के कुल 48 नोटो को एक कागज के पीले लिफाफे मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क N अंकित कर कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अनु सिंह मीणा सरपंच/प्रशासक से पुनः स्पष्टीकरण लिया गया, ईटून्दा ग्राम पंचायत में सफाई का ठेका श्री गोविन्द प्रसाद की फर्म को दिया गया था। श्री गोविन्द प्रसाद द्वारा तीन महिने तक कार्य किया गया था। श्री गोविन्द प्रसाद द्वारा सफाई कार्य में 06 लेबर लगाई थी। अन्य कोई जे.सी.बी. व ट्रेक्टर नही लगाई थी। श्री गोविन्द प्रसाद द्वारा सफाई कार्य में लगाई लेबर को 02 महिने का भुगतान कर दिया था लेकिन 01 महिने का भुगतान बाकी रहा था। लेबर का भुगतान ठेकेदार को करना होता है लेकिन लेबर मेरे स्थानीय गांव की होने के कारण बार-बार मुझे पेमेन्ट के लिये कह रही थी। मैनें ठेकेदार को लेबर का भुगतान करने के लिये कोई पत्र नही दिया था। ठेकेदार द्वारा लेबर को भुगतान कर दिया गया हो तो मुझे नही बोला। दिनांक 24.06.2025 को आपकी और ठेकेदार श्री गोविन्द प्रसाद की वार्ता में आपने 01 महिला लेबर को फोन लगाकर पूछा जिसमें मैनें सफाईकर्मी जो मरे हुए जानवरों को उठाते है उसके पेमेन्ट के बारे में कहा था। दिनांक 12.06.2025 को ठेकेदार श्री गोविन्द प्रसाद द्वारा 12000 रूपये श्री मोनु हरिजन, 12000 रूपये माया एवं 12000 रूपये संगीता को ऑनलाईन पेमेन्ट भेजा हो उसकी मुझे कोई जानकारी नही थी। दिनांक 06.06.2025 को आपकी और ठेकेदार श्री गोविन्द प्रसाद की हुई वार्ता में आप द्वारा कुल 60 हजार रूपये जिसमें 36 हजार रूपये लेबर का पेमेन्ट एवं 24000 रूपये आप स्वयं के लिये एवं 02 प्रतिशत जे.टी.ओ. के लिये तथा 05 प्रतिशत सचिव के लिये भी रिश्वत राशि की मांग की गई थी, इस संबंध में आपका क्या कहना है। इस पर सरपंच श्री अनु सिंह चुप रहा, कुछ नही बोला। परमेश्वर लाल मेरी कम्प्यूनिटी का ही है तथा भाव का गुढा का ही रहने वाला है जो ई-मित्र के कार्य में सहायता करता है। श्री रोशन मीणा है जो परमेश्वर का छोटा भाई है। आज मेरी श्री गोविन्द प्रसाद से पैसों के मामले को लेकर कोई बातचीत नही हुई थी। मैनें परमेश्वर लाल को श्री गोविन्द प्रसाद के पास गाडी में क्या चीज लानी है ये नही बताया था। मैनें रिश्वत राशि लाने के लिये श्री गोविन्द प्रसाद के पास नही भेजा था। तत्पश्चात श्री परमेश्वर लाल मीणा का पुनः स्पष्टीकरण लिया गया, तो परमेश्वर लाल ने बताया कि आज मैं मेरे छोटे भाई रोशन के पास ग्राम पंचायत भवन में ई मित्र पर फोटो स्टेट कराने आया था तो सरपंच साहब श्री अनु सिंह जी ने मुझे कहा कि कोई आदमी आवे तो उससे पैसे ले लेना। किस आदमी से पैसे लेने है ये नही बताया। और मुझे कहा कि 30 हजार रूपये लेने है। जब मैं श्री गोविन्द प्रसाद के पास पैसे लेने गया और उसकी गाडी में बैठा और पूछा कि कितने है। तो उसने कहा 24 हजार। तो मैनें कहा कि उन्होने 30 के लिये बोला है। पैसे श्री गोविन्द प्रसाद ने मुझे हाथ में दिये थे लेकिन 24 हजार ही होने से मैंने पैसे श्री

गोविन्द प्रसाद की गाडी में गियर बॉक्स के पास ही रख दिये थे। उसके बाद मैं वापस आने की कहकर सरपंच साहब के कक्ष में पहूंचा ही था कि आप लोग आ गये। दोनो आरोपीगणों के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। आरोपी सरपंच श्री अनु सिंह से परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद की सफाई टेण्डर की पत्रावली के संबंध में पूछा तो बताया कि उसकी पत्रावली ग्राम पंचायत ईटून्दा में सचिव के पास ही रहती है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक द्वारा सचिव श्रीमती सरीता मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल से वार्ता करनी चाही तो सचिव श्रीमति सरीता मीणा ने फोन रिसीव नही किया। आईन्दा परिवादी के सफाई टेण्डर से संबंधित पत्रावली प्राप्त की जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के श्री शिव कृपा सफाई एन्टरप्राईजेज के नाम से फर्म द्वारा ग्राम पंचायत ईटून्दा में सफाई कार्य हेतु टेण्डर जारी हुआ था। परिवादी ने माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च तक 03 महिने सफाई कार्य किया जिसका बिल करीबन 3.00 लाख रूपये के बिलों के भुगतान हेतु परिवादी द्वारा आरोपी सरपंच श्री अनु सिंह मीणा हाल प्रशासक, ग्राम पंचायत ईटून्दा से सम्पर्क किया तो परिवादी से उसके 03 माह के बिलों के भुगतान बिलों पर हस्ताक्षर नही किये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिलों को नही मानकर स्वयं के हिसाब से बिल बनाकर मात्र 1.20 लाख रूपये के बिल ही स्वीकृत करने पर सहमत हुआ तथा 1.20 लाख रूपये के बिल पास करने से पूर्व परिवादी से 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 06.06.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया जिसमें 36 हजार रूपये लेबर को देने के लिये तथा 24 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग स्वयं के लिये तथा इसी 24 हजार मे से 02 प्रतिशत जे.टी.ओ. के लिये तथा 05 प्रतिशत सचिव के लिये मांग की गई थी। तत्पश्चात परिवादी द्वारा 36 हजार रूपये दिनांक 12.06.2025 को ऑनलाईन लेबर का भुगतान किया गया। दिनांक 24.06.2025 को परिवादी द्वारा पुनः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया, जिस पर 24 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग सरपंच श्री अनु सिंह मीणा द्वारा की गई तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.07.2025 को ग्राम पंचायत ईटून्दा भवन के परिसर में ही परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से 24 हजार रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये अपने परिचित मध्यस्थ श्री परमेश्वर लाल मीणा को भिजवाया। श्री परमेश्वर लाल मीणा द्वारा आरोपी श्री अनु सिंह मीणा के कहे अनुसार परिवादी के पास जाकर उसकी कार में बैठकर रिश्वत राशि 24 हजार रूपये को ग्रहण की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 24 हजार रूपये गिनने के संबंध में परमेश्वर लाल मीणा को कहा तो परमेश्वर लाल मीणा द्वारा परिवादी से पूछा कि कितने है। तब परिवादी ने 24 हजार की कहने पर परमेश्वर लाल ने कहा कि सरपंच साहब ने 30 के लिये कहा है, तथा उक्त रिश्वत राशि 24 हजार रूपये के नोटो की गड्डी को परिवादी की गाडी में गियर बॉक्स के पास ही पटककर आरोपी सरपंच श्री अनु सिंह को परिवादी द्वारा 24 हजार रूपये ही दिये जाने के संबंध में पूछने के लिये जाना पाया गया। रिश्वत राशि 24 हजार रूपये आरोपी श्री परमेश्वर लाल मीणा द्वारा अपने हाथों से ग्रहण की है। जिसकी दोनो हाथों की धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांई देता हुआ पाया गया । इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 24 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में 24,000/- रूपये दिनांक 09.07.2025 को अपने परिचित मध्यस्थ श्री परमेश्वर लाल मीणा के मार्फत ग्राम पंचायत भवन ईटून्दा के परिसर में ही ग्रहण करना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। समय 09.05 पी.एम. पर आरोपी श्री अन्नु सिंह मीणा हाल सरपंच / प्रशासक, ग्राम पंचायत ईटून्दा को प्रकरण हाजा में बाद आगाही जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गवाहान के समक्ष गिरफतार किया जाकर फर्द पर गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके पिता श्री मोती सिंह को दी गयी। समय 09.20 पी.एम. पर आरोपी श्री परमेश्वर कुमार मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) ईमित्र संचालक को प्रकरण हाजा में बाद आगाही जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गवाहान के समक्ष गिरफतार किया जाकर फर्द पर गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनके परिचित श्री मोती सिंह को दी गयी। समय 09.30 पी.एम.पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अन्नु सिंह सरपंच व श्री परमेश्वर कुमार मीणा मय शिल्डशुदा समस्त आर्टिकल मय वाहनो के बाद कार्यवाही पुलिस थाना हनुमान नगर से भीलवाडा के लिए रवाना हुए। समय 11.30 पी.एम. पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अन्नु सिंह सरपंच व श्री परमेश्वर कुमार मीणा मय शिल्डशुदा समस्त आर्टिकल मय वाहनो के उपस्थित कार्यालय आये। आरोपीगणों को श्री राजेश कुमार उनि की निगरानी में कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तथा प्रकरण में जप्त एवं शिल्डशुदा समस्त आर्टिकल को श्री रामपाल सउनि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाकर गया। दिनांक 10.07.2025 समय 08.45 ए.एम. पर परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद व दोनो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। मन उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता का डिजीटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन उप अधीक्षक की अलमारी से निकाला जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट के संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 09.00 ए.एम. पर दिनांक 09.07.2025 को परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद व आरोपी श्री अनुसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत ईटून्दा, व श्री परमेश्वर लाल मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य ग्राम पंचायत ईटून्दा में रूबरू

हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई, उक्त रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री गोविंद प्रसाद ने अपनी आवाज तथा आरोपी श्री अनुसिंह, सरपंच व एक आवाज श्री परमेश्वर लाल मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) की आवाज की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 मे कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल चार पेनड्राईव 64 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी के जिसमे से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकार्ड वार्ताओ के मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी को उसी मैमोरी कार्ड के कवर मे रखकर कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क M-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-5 दिया गया। आरोपीगण के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर मे पृथक-पृथक रखकर सफेद कपडे की थैली मे रख शिल्ड मोहर कर श्री अनु सिंह हेतु पेनड्राईव को मार्क PD-6 व श्री परमेश्वर लाल हेतु पेनड्राईव को मार्क PD-7 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी के कवर मे रखकर एक पीले लिफाफे मे रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। शिल्ड पैकिट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट लेन देन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास शील ACB BHL 1 -17 अंकित की गई। शिल्ड पैकिट आर्टिकल मन पारसमल उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। समय 05.45 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत कानि से सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही दिनांक 09.07.2025 की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड से पेनड्राईव तैयार करने के निर्देश दिये जिस पर श्री इन्द्रजीत कानि नें मूल मेमोरी कार्ड ऑडियो विडियो रिकार्डिंग सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी से कुल 04 पैन ड्राईव 64-64 जी.बी. के तैयार करवाये गये। जिसमें से न्यायालय हेतु 01 पैन ड्राईव आरोपीगणो के लिए 02 पैन ड्राईव तथा अनुसंधान हेतु एक पैन ड्राईव कार्यालय कम्प्यूटर से कॉपी कर तैयार करवाये गये। न्यायालय हेतु तैयार पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-8 दिया गया। आरोपीगणों हेतु तैयार 02 पेनड्राईव को पृथक पृथक उसी के कवर में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-9, PD-10 दिया गया तथा एक पेनड्राईव उसी के कवर में रखकर पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसी के कवर में रखकर, सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क M-3 दिया गया। उक्त सभी शिल्ड आर्टीकल पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 17 अंकित की गयी। समय 05.50 पी.एम पर प्रकरण हाजा में की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में शिल्ड आर्टिकल एवं मुर्तिब की गई फर्दो पर नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 17 नम्बर की प्रयुक्त की गई। बाद कार्यवाही उक्त ब्रास सील की फर्द नाशानी व नमूना शील मुर्तिब की गई एवं उक्त ब्रास सील का गवाहान व परिवादी को अवलोकन करवाया जाकर कार्यालय परिसर में पत्थर से तोडकर नष्ट की गई तथा फर्द पर सभी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी व गवाहान को रूखसत किया गया। प्रकरण हाजा में उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद के श्री शिव कृपा सफाई एन्टरप्राईजेज के नाम से फर्म द्वारा ग्राम पंचायत ईटून्दा में सफाई कार्य हेतु टेण्डर जारी हुआ था। परिवादी ने माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च तक 03 महिने सफाई कार्य किया जिसका बिल करीबन 3.00 लाख रूपये के बिलों के भुगतान हेतु परिवादी द्वारा आरोपी सरपंच श्री अनु सिंह मीणा हाल प्रशासक, ग्राम पंचायत ईटून्दा से सम्पर्क किया तो परिवादी से उसके 03 माह के बिलों के भुगतान बिलों पर हस्ताक्षर नही किये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिलों को नही मानकर स्वयं के हिसाब से बिल बनाकर मात्र 1.20 लाख रूपये के बिल ही स्वीकृत करने पर सहमत हुआ तथा 1.20 लाख रूपये के बिल पास करने से पूर्व परिवादी से 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 06.06.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया जिसमें 36 हजार रूपये लेबर को देने के लिये तथा 24 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग स्वयं के लिये तथा इसी 24 हजार मे से 02 प्रतिशत जे.टी.ओ. के लिये तथा 05 प्रतिशत सचिव के लिये मांग की गई थी। तत्पश्चात परिवादी द्वारा 36 हजार रूपये दिनांक 12.06.2025 को ऑनलाईन लेबर का भुगतान किया गया। दिनांक 24.06.2025 को परिवादी द्वारा पुनः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया जिस पर 24 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग सरपंच श्री अनु सिंह मीणा द्वारा की गई तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.07.2025 को ग्राम पंचायत ईटून्दा भवन के परिसर में ही परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद से 24 हजार रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये अपने परिचित मध्यस्थ श्री परमेश्वर लाल मीणा को भिजवाया। श्री परमेश्वर लाल मीणा द्वारा आरोपी श्री अनु सिंह मीणा के कहे अनुसार परिवादी के पास जाकर उसकी कार में बैठकर रिश्वत राशि 24 हजार रूपये को ग्रहण की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 24 हजार रूपये गिनने के संबंध में परमेश्वर लाल मीणा को कहा तो परमेश्वर लाल मीणा द्वारा परिवादी से पूछा कि कितने है। तब परिवादी ने 24 हजार की कहने पर परमेश्वर लाल ने कहा कि सरपंच साहब ने 30 के लिये कहा है, तथा उक्त रिश्वत राशि 24 हजार रूपये के नोटो की

गड्डी को परिवादी की गाडी में गियर बॉक्स के पास ही पटककर आरोपी सरपंच श्री अनु सिंह को परिवादी द्वारा 24 हजार रूपये ही दिये जाने के संबंध में पूछने के लिये जाना पाया गया। रिश्वत राशि 24 हजार रूपये आरोपी श्री परमेश्वर लाल मीणा द्वारा अपने हाथों मे ग्रहण की है। जिसकी दोनो हाथों की धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांई देता हुआ पाया गया । इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र पूर्वक परिवादी से 24 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में 24,000/- रूपये दिनांक 09.07.2025 को अपने परिचित मध्यस्थ श्री परमेश्वर लाल मीणा के मार्फत ग्राम पंचायत भवन ईंटून्दा के परिसर में ही ग्रहण करना पाया गया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हेतु कार्यालय पत्रांक 1044-45 दिनांक 11.07.2025 से श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, राज. जयपुर को प्रेषित की गई। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम --------------कार्यवाही पुलिस----------------प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस मल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण श्री अनु सिंह मीणा पुत्र श्री मोती सिंह मीणा उम्र 32 वर्ष निवासी लाताब का झोपडा, ग्राम पंचायत ईटून्दा तहसील जहाजपुर पुलिस थाना हनुमान नगर जिला भीलवाडा हाल सरपंच/प्रशासक ग्राम पंचायत ईटून्दा, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा एवं श्री परमेश्वर लाल मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी भाव का गुढा ग्राम पंचायत ईटून्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ईमित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबर मल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम ----- पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1020-23 दिनांक 11.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा, 2. आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर, 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/07/2025 18:[illegible]

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1993 | | | | |
| 2 | Male | 1990 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)